उनवान– संजा देवी बनाम अंकित आदि

किस्म मुकदमा– आ0 पत्र अ0धारा 212 आर.टी.ए. 1955 मु.नं0 117 वर्ष 2024

दिनांक	आज्ञा पत्र	
17.04.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। वकील उभय पक्ष की बहस प्रार्थना–पत्र टी0आई0 सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी द्वारा आवेदन अंतर्गत धारा 212 रा0काश्त0 अधिनियम प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए, आवेदन पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार कर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने हेतु निवेदन किया गया। वकील अप्रार्थी सं0 1 व 2 द्वारा आर्डरशीट पर नो ऑब्जेक्शन होना अंकित किया। हमने वकील उभय की बहस सुनी, उसपर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया, जिससे जाहिर है कि राजस्व ग्राम मदनी प0ह0 मंढा मदनी, तहसील दांतारामगढ़,सीकर में अवस्थित कृषि भूमि ख0नं0 636 रकबा 3.6200 है0 में प्रार्थीया का 175/362 हिस्से के खातेदार काबिज, काश्तकार चली आ रही है। वर्णित भूमि दिनांक 17.082006 को पूर्व खातेदार से क्रय की थी अर्थात भूमि अप्रार्थी सं0 1 ता 3 के पिता देबूराम से क्रय की थी। तब से लेकर प्रार्थीया उक्त कृषि भूमि पर काबिज काश्त होकर लाट बांट कर अपना जीवन यापन करती चली आ रही है। पूर्व खातेदार देबूराम के फौत होने के बाद विरासतन नामान्तरण अप्रार्थी सं0 1 ता 3 के पक्ष में हो गया। इस प्रकार से प्रार्थीया एंव अप्रार्थीगण सं0 1 ता 4 उक्त भूमि पर अपने–अपने हिस्से पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। उक्त भूमि का आज तक विधिवत रूप से बंटवारानहीं करवाया गया, बिना बंटवारा के किसी भी खातेदार के हिस्से का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। प्रार्थीया ने विकय पत्र दिनांक 17.08.2006 के आधार पर बंटवारा करने हेतु आवेदन पत्र पेश किया है। प्रार्थीया द्वारा आवेदन पत्र की मद सं0 7 के अनुसार अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द करने हेतु निवेदन किया है। अप्रार्थी सं0 1 व 2 द्वारा भी इसके बाबत नॉ ऑब्जेक्शन होना अंकितया किया है। चूंकि प्रकरण में पृथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एंव अपूर्णीय क्षति प्रार्थीया के पक्ष में बनना पाया जाता है। विवादग्रस्त भूमियों पर वाद विवाद बाहुलता नहीं बढ़े इसलिए न्यायहित में न्यायालय प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 212 आरटीएक्ट स्वीकार कर मूल वाद के निस्तारण तक अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करना न्यायालय उचित समझता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 212 आरटीएक्ट स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि राजस्व ग्राम मदनी प0ह0 मंढा मदनी, तहसील दांतारामगढ़,सीकर में अवस्थित कृषि भूमि ख0नं0 636 रकबा 3.6200 है0 में मूल वाद के निस्तारण तक रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैशल शुमार होकर नंबर से कम हो। सहायक कलक्टर (मु0)सीकर	

Scanned with CamScanner